

दिल्ली विधान सभा सचिवालय  
समाचार भाग-2  
(विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी)  
बुधवार, 10 अगस्त, 2005/श्रावण 19, 1927 (शक)

संख्या- 107

विषय:- सदस्यों की गिरफ्तारी एवं रिहाई

माननीय अध्यक्ष, दिल्ली विधान सभा को संबोधित, एस.एच.ओ., संसद मार्ग, नई दिल्ली से निम्नलिखित संदेश प्राप्त हुआ :-

“मुझे आपको यह ससंम्मान सूचित करना है कि दिल्ली विधान सभा के माननीय सदस्यों, डॉ. हर्षवर्द्धन तथा श्री मांगे राम गर्ग को दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 की धारा 65 के अंतर्गत दिनांक 09.8.2005 को 11.55 बजे, पुलिस थाना, संसद मार्ग, नई दिल्ली से गिरफ्तार किया गया।

उन्हें, उसी दिन उसी स्थान से 12.15 बजे रिहा कर दिया गया”।

सिद्धार्थ राव  
सचिव

**DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT**  
**BULLETIN PART-II**

(General information relating to legislative and other matters)  
Wednesday 10<sup>th</sup> August, 2005/19 Shrawana 1927 (Saka)

No. 107

Sub: **DETENTION AND RELEASE OF MEMBERS**

The following message addressed to the Hon'ble Speaker, Delhi Vidhan Sabha, Delhi, was received from SHO, Parliament Street, New Delhi:

"I have the honour to inform you that Dr. Harshvardhan and Shri Mange Ram Garg, Hon'ble Members of Legislative Assembly, Delhi were detained U/S 65 of Delhi Police Act, 1978 at P. S. Parliament Street New Delhi at 1155 Hrs. on 09.08.2005.

They were released at 1215 Hrs. from the same place on the same date."